(145)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन 971-पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 6-3-2014 पारित द्वारा राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 495-पीबीआर/2014.

---

1. धनीराम पुत्र फोदीराम
2. राम सिंह पुत्र बाल चन्द्र
3. मानसिंह पुत्र सरमन सिंह
4. आनंद सिंह पुत्र सरमन सिंह
5. अतर सिंह पुत्र सरमन सिंह
6. कोक सिंह पुत्र सरमन सिंह
7. सरमन सिंह पुत्र भजना

निवासीगण ग्राम खेडा टांका
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. कल्याण सिंह पुत्र स्व. श्री जिहान सिंह
2. चौखे सिंह पुत्र स्व. श्री जिहान सिंह
3. बैजन्ती पुत्री स्व. श्री जिहान सिंह

निवासीगण ग्राम खेडा टांका
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर

4. श्रीमती श्री पुत्री स्व. श्री जिहान सिंह
पत्नी घनश्याम निवासी ग्राम पाटई
तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर
5. भग्गो पुत्री स्व. श्री जिहान सिंह
पत्नी सीताराम निवासी इमलिया
तहसील नरवर जिला ग्वालियर
6. कोशा बाई पत्नी स्व. श्री जिहान सिंह
ग्राम खेडा टांका
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर
7. इमरत लाल पुत्र स्व. श्री भग्गूराम
8. रामजीलाल पुत्र स्व. श्री भग्गूराम

9. प्राण सिंह पुत्र स्व. श्री भग्गूराम
10. वीरेन्द्र
11. चिन्टू नाबालिग पुत्रगण विशाल सिंह
    सरपरस्त मॉ उर्मिला बेवा विशाल
12. उर्मिला बेवा विशाल सिंह
    निवासीगण ग्राम खेडा टांका
    तहसील भितरवार जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक आवेदकगण
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1 लगायत 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह पुनर्विलोकन म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित 6-3-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण के पूर्वज मृतक जिहान सिंह द्वारा ग्राम खेडा टांका स्थित उभय पक्ष के संयुक्त खाते की कुल किता 14 कुल रकबा 6.314 हेक्टेयर भूमि पर उसका 2/5 हिस्सा बटवारा किये जाने हेतु अधीक्षक, भू-प्रबंधन ग्वालियर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अधीक्षक, भू-प्रबंधन द्वारा दिनांक 24-4-2006 को बटवारा आदेश पारित आदेश पारित किया गया । अधीक्षक, भू-प्रबंधन के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर अनावेदकगण के पूर्वज मृतक जिहान सिंह द्वारा कलेक्टर को अधीक्षक, भू-प्रबंधन के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार नहीं होने सम्बन्धी आपत्ति प्रस्तुत की गई । कलेक्टर द्वारा दिनांक 3-4-2007 को आदेश पारित कर आपत्ति निरस्त की गई, जिसे निगरानी में आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा दिनांक 17-2-2009 एवं राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 2-2-2016 को आदेश पारित कर यथावत रखा गया। राजस्व मण्डल से प्रकरण प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 24-9-12 को आदेश पारित कर अधीक्षक, भू-प्रबंधन का आदेश दिनांक 24-4-06 यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13-1-2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध

आवेदकगण द्वारा राजस्व मण्डल, म.प्र. के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसे राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 6-3-2014 को आदेश पारित कर निगरानी अग्राह्य की गई । राजस्व मण्डल के इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीक्षक, भू-प्रबंधन के समक्ष तीन फर्द बटान प्रस्तुत हुई हैं, जिनमें भिन्नता हैं, क्योंकि एक फर्द बटान में सर्वे नम्बर 247 रकबा 0.366 हेक्टेयर को सम्मिलित नहीं किया है और आदेश में उक्त सर्वे नम्बर को छोड़ दिया गया है एवं रकबे में भी भिन्न्ता है, जो कि अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि होने के कारण पुनर्विलोकन का आधार है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रिकार्ड तलब करने का अनुरोध किया गया था, किन्तु इस न्यायालय द्वारा बिना अभिलेखों का अवलोकन किये ग्राह्यता के स्तर पर ही निगरानी खारिज किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है । इस तर्क के समर्थन में 1990 आर.एन. 95 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया । तर्क में यह भी कहा गया कि अधीक्षक, भू-प्रबंधन द्वारा फर्दों का प्रकाशन नहीं कराया गया है और न ही बटवारा नियम 3 व 4 का पालन किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अधीक्षक, भू-प्रबंधन द्वारा आज्ञापक प्रावधान के विपरीत आदेश पारित किया गया है । इस तर्क के समर्थन में 2011 आर.एन. 217, 1993 आर.एन. 289 एवं 1995 आर.एन. 230 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जा सकते हैं । इस तर्क के समर्थन में 2003 आर.एन. 195, 2006 आर.एन. 330, 1990 आर.एन. 77 (एच.सी.एफ.बी.) के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 178, 107, 121 जहां विभाजन के समय नक्शा संशोधन नहीं किया गया था, राजस्व निरीक्षक द्वारा दोनों पक्ष को सुने बिना न तो सुधार किया जा सकता है और न ही प्रमाणित किया जा सकता है । इस तर्क के समर्थन में 2002 आर.एन. 129 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया । तर्क में यह भी कहा गया कि इस न्यायालय को पुनरीक्षण में विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई अनियमितताओं का परीक्षण किया जा सकता है । इस तर्क के समर्थन में 2004 आर.एन. 325 एवं 1986 आर.एन. 1 (एच.सी.) के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

उनके द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन पत्र स्वीकार कर, निगरानी ग्राह्य किया जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख मंगाये जाकर प्रकरण का गुण-दोष पर निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 के विद्वान अभिभषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा किस आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया है, इसका कोई

उल्लेख पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में नहीं है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में निगरानी के आधार उठाये हैं, जो कि पुनर्विलोकन के आधार नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 51 में पुनर्विलोकन हेतु उल्लेखित तीन आधारों में से कोई भी आधार आवेदकगण द्वारा नहीं उठाये गये हैं, अत: पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय का आदेश अभिलेख के विपरीत होना सिद्ध नहीं किया गया है, अत: पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निरस्त किया जाये ।

5/ शेष अनावेदकगण एकपक्षीय हैं ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अधीक्षक, भू-प्रबधन द्वारा बटवारे की कार्यवाही में सर्वे क्रमांक 247/3 को विचार में नहीं लिया गया है । इस बिन्दु को राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी प्रकरण में दिनांक 6-3-2014 को पारित आदेश में अनदेखा किया गया है, जो कि मामले के अभिलेख से ही प्रकट भूल होकर पुनर्विलोकन का आधार है । अत: आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है एवं राजस्व मण्डल का प्रकरण क्रमांक निगरानी 495-पीबीआर/14 में पारित आदेश दिनांक 6-3-2014 विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किया जाकर मूल निगरानी पुन: सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाता है । उभय पक्ष को सूचना दिया जाये । यह पुनर्विलोकन प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर